अनुदान संख्या 79 – राज्य सभा
GRANT No. 79 - RAJYA SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*1,52,00*	*1,00,12*	*-51,88*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*51,87*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	399,52,00	419,53,00	385,14,25	-34,38,75
पूरक	Supplementary	20,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				34,31,51

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के स्वीकृत भाग में, कुल बचतें (₹3438.75 लाख) नवम्बर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2001.00 लाख का पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईंः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹3438.75 lakhs)exceeded the supplementary grants of ₹2001.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2011"	Major head "2011"				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	39952.00			
पू.	S.	2001.00	38521.49	38514.25	-7.24
पु.	R.	-3431.51			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "संसद – राज्या सभा – सदस्य" के अंतर्गत ₹13391.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹301.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹13692.00 लाख कर दिया गया, तथापि, ₹2036.72 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई – चिकित्सा संबंधी कम दावों की प्राप्ति होने, रेल मंत्रालय से कम नामे दावे की प्राप्ति होने और कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से कम दौरे करने/अध्ययन के लिए कम यात्रा करने के कारण हुई।

(III) "संसद – राज्य सभा सचिवालय – सचिवालय" – ₹19491.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1700.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹21191.00 लाख कर दिया गया, तथापि ₹172.36 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा – वेतन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने और कम दौरे किए जाने के कारण थे।

(IV) "संसद – राज्य सभा सचिवालय – राज्य सभा टेलीविजन चैनल (आरएसटीवी)" – ₹967.77 लाख की बचत (₹6293.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च मूल्य मदों की अधिप्राप्ति न होने, बीईसीआईएल का निपटान न होने, कम पेशेवरों को अनुबंध किए जाने, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा लाइसेंस फीस में कटौती किए जाने एवं कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under "Parliament - Rajya Sabha - Members" - the original provision of ₹13391.00 lakhs was augmented to ₹13692.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹301.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2036.72 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claims towards medical reimbursement, receipt of less debit claims from Ministry of Railways and less tours/studytours undertaken owing to COVID-19 lockdown.

(III) Under "Parliament - Rajya Sabha Secretariat - Secretariat" - the original provision of ₹19491.00 lakhs was augmented to ₹21191.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1700.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹172.36 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries, receipt of less claims towards medical reimbursement and less tours undertaken.

(IV) Under "Parliament - Rajya Sabha Secretariat - Rajya Sabha Television Channel (RSTV)" - saving of ₹967.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6293.50 lakhs) was due to non-procurement of high value items, non-settlement of dues to BECIL, engagement of less professionals, reduction of licence fees by New Delhi Municipal Council and less tours undertaken.